सरल क्रमांक.....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में
हमाली कार्य हेतु निविदा दस्तावेज

निविदा फार्म का मूल्य
1500/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,मुख्यालय रायपुर
खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 हमाली कार्य का निविदा

फार्म कमांक.....

1. निविदाकर्ता का नाम –श्री/सुश्री .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम– .....
3. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम .....
   एवं पता तथा मो.नं. .....
   .....
4. निविदाकर्ता का पंजीयन क्र. एवं .....
   दिनांक तथा जिला .....
5. **व्यवसाय की पेन संख्या –** .....
6. **श्रम लाइसेन्स की पंजीयन तिथि एवं वैधता तिथि** .....
7. जिले के धान भंडारण केन्द्र का नाम .....
   जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है .....
8. निविदा फार्म का मूल्य – 1500.00 रूपये (वाणिज्य कर सहित)
   (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र)
9. निविदा फार्म क्रय/डाउनलोड का विवरण मनी रसीद नम्बर/डी.डी. नंबर.....
   दिनांक .....राशि .....
   बैक का नाम.....
10. निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक / /2012 कार्यालयीन समय तक
11. निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक एवं समय– दिनांक.– / /2012
    समय– दोपहर 3.00 बजे तक
12. निविदा को खोले जाने की तिथि, समय एवं स्थान– दिनांक– / /2012
    समय– अपरान्ह् 3.00 बजे
    स्थान– जिला विपणन अधिकारी कार्यालय
    जिला– .....

टिप्पणी :–

1. यह निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. **प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा पप्रत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 12 तक है।**
4. **निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क का डी.डी. जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम से देय होगा। निविदा फार्म के टेक्नीकल बीड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा यदि टेक्नीकल बीड के साथ डी.डी. जमा नही किया जाता तो निविदा निरस्त मानी जायेगी।**

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम
एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक.....

परिशिष्ट–1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय के अंतर्गत संगहण केन्द्रों हेतु हमाली कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगेः–

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा :–
2. जिस जिले के संग्रहण केन्द्र/गोदाम हेतु निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र कय कर उसी जिले में ही जमा कराया जाना आवश्यक होगा। एक जिले से कय निविदा प्रपत्र पर दूसरे जिले हेतु निविदा नहीं भरी जा सकेगी।
3. निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–
   1. निर्धारित अमानत राशि का छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छ0ग0 को देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रस्तुत करें।
   2. हमाल ठेकेदार का श्रम लाइसेन्स (श्रम विभाग के संविदा अधिनियम 1970 की धारा 12(1)) के अंतर्गत प्राप्त लाइसेन्स की छायाप्रति।
   3. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर।
   4. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का भविष्य निधि कोड़ नं. एवं विगत 2 वर्षो के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जमा रिटर्न की छायाप्रति।
   5. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का व्यवसाय संबंधित विगत दो वर्षो की आय कर विवरणी।
   6. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   7. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स के साथ तथा सूचीबद्ध किये गये हमालों के भविष्य निधि खाता नम्बर सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   8. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा।
4. निविदाकर्ता के पास श्रम विभाग का संविदा अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य होगा एवं निविदाकर्ता द्वारा कार्यानुसार दरें निर्धारित प्रारूप में भरकर देनी होगी।
5. कार्य की अवधि **01/11/2012 से 31/10/2013** तक होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है।

6. निविदाकर्ता के पास वैध भविष्यनिधि कोड होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से प्रत्येक माह मासिक बिल बनाकर माह के 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। बिल के साथ निविदाकर्ता द्वारा अपने भविष्य निधि कोड में भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये उसी माह के मासिक विवरणी की पावतीयुक्त कापी एवं हमालवार भविष्य निधि की जानकारी संलग्न करने पर ही बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्षान्त पर वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये पावतीयुक्त कापी प्रस्तुत करने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि कोड नं. नहीं है तो निविदा की शर्त क्रं. 9 की शर्तें प्रभावशील होगी।
7. निविदाकर्ता को कार्य कराने हेतु श्रमिक की व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी की आवश्यकतानुसार प्रतिदिन समयावधि में करनी होगी तथा उनके समस्त भुगतान की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। जिला विपणन अधिकारी अनुबंधित दरों से ही भुगतान करेंगे।
8. निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम नियमों एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियमों का पालन करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
9. निविदाकार के पास न्यूनतम 20 हमालों का भविष्य निधि कोड नं. होना अनिवार्य है, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उक्त 20 हमालों से अधिक हमालों के लिये भविष्य निधि कोड नं. नहीं होने पर बिल से 24 प्रतिशत भविष्य निधि +1.61 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय = 25.61 प्रतिशत राशि काटकर पूर्व में ही भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हमाली ठेकेदारों हेतु आबंटित कोड नं. में नियत अवधि (आगामी माह के 15 तारीख तक) जमा की जायेगी। ठेकेदार के पास ऐसे हमालों का कोड नं. नहीं होने तक उन्हें प्रत्येक माह बिल बनाकर प्रस्तुत करना होगा और बिल स्वीकृति के पूर्व हमालवार भविष्य निधि विवरण प्रस्तुत करने पर बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा।
10. नियमानुसार निविदाकार के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
11. निविदाकार को निविदा के साथ **रूपये 50,000.00 (पच्चास हजार रूपये मात्र)** अमानत राशि, किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट जो छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. जिला कार्यालय.....को देय है, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. सफल निविदाकार को निविदा के साथ **रूपये 50,000.00 (पच्चास हजार रूपये मात्र)** छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से देय की अमानत राशि के अतिरिक्त 1,00,000.00 (रूपये एक लाख) की बैंक गारंटी/एफडीआर. अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि बतौर जमा कराना अनिवार्य होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
13. संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दर्शित कार्य के अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य निविदाकर्ता को सम्पन्न कराना होगा, जिसकी दरें जिला विपणन अधिकारी, प्रबंधक एवं निविदाकर्ता के द्वारा आपसी सहमति पर तय की जावेगी।
14. निविदाकर्ता द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर संघ को होने वाली हानि के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य स्रोतों से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता के देयकों/अमानत राशि/सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।

15. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निलंबित या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर के पास सुरक्षित होगा।
16. सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
17. जिले में संग्रहण केन्द्रो की सूची संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
18. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में कार्य होने पर ही आवश्यकतानुसार हमाली कार्य निविदाकार को दी जा सकेगी। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में कार्य देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार से बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा ।
19. प्रस्तुत दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक हो, अव्यवहारिक दरें वाली निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
20. निविदा दस्तावेज जिस जिले से क्रय किया गया है, उस जिले के संग्रहण केन्द्रों के लिए भरी जायेगी।
21. निविदाकार को अपने हमालों की बीमा हेतु कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत बीमा कर, निविदा स्वीकृत होने के पश्चात या कार्य आरंभ करने के पूर्व **जिला विपणन अधिकारी,** मिल के प्रबंधक या भंडारण केन्द्र के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब तक निविदाकार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की बीमा की प्रति प्रस्तुत नहीं करेगा, उसे कार्य आरंभ नहीं करने दिया जायेगा।
22. निविदाकार का संविदा अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) तहत पंजीयन होना अनिवार्य होगा, उसे अपने निविदा दस्तावेज के साथ निविदा भरते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकार को सर्विस टैक्स के प्रावधान यदि लागू होते हैं तो सर्विस टैक्स की भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी और उसे संविदा करते समय यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि इन दरों में सर्विस टैक्स भी शामिल है।
24. निविदाकार को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अन्तरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
25. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
26. निविदाकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा अथवा अनुबंध के अधीन सेवाओं में कुशलता से निष्पादित न करने अथवा उनके द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर विपणन संघ को हुई हानि अथवा विपणन संघ द्वारा उठाये गये प्रभार लागत अथवा खर्चे की दावे की कुल राशि विपणन संघ द्वारा उस राशि से काट ली जावेगी जो विपणन संघ के साथ किये गये इस अनुबंध अथवा इसके बाद किसी भी समय निविदाकर्ता को देय होगी। यदि फेडरेशन द्वारा निविदाकर्ता को दी जाने वाली पूर्वोक्त राशि कम पड़ती है तो दावा की गई और निविदाकर्ता से वसूल की जाने वाली कुल राशि की शेष राशि निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से काट ली जावेगी। यदि विपणन संघ द्वारा व्यय की गई कुल राशि के पूर्ति के लिए यह

राशि अप्रर्याप्त रहती है तो दावा की गई पूर्वोक्त राशि का शेष भाग मांगे जाने पर निविदाकर्ता को अदा करना होगा अन्यथा विपणन संघ कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के उक्त राशि वसूल कर सकेगा।

27. निविदाकर्ता द्वारा यदि स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए विपणन संघ स्वतंत्र रहेगा। साथ ही साथ निविदाकर्ता को केन्द्र शासन/राज्य शासन या विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।

28. निविदाकार की दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक होना चाहिये अन्यथा न्यूनतम दर वाले निविदाकार से उपर की दर घोषित करने वाले निविदाकार से चर्चा कर निविदा स्वीकार की जा सकती है।

29. निविदाकार के किसी भी कृत्य से होने वाली नुकसानी निविदाकार के विरूद्ध भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

30. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित समस्त लागू एवं निविदा अवधि के दौरान प्रभावी किये जा सकने वाले उपकर/कर की भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि निविदाकार देने में आनाकानी करें तो उनके बिल से कटौती कर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय जैसा भी हो, के निर्देशानुसार जमा कर दी जायेगी।

31. यह कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।

32. यदि राईस मिल या संग्रहण केन्द्रों में कार्य की अधिकता हो तो मिल प्रबंधक या संग्रहण केन्द्र प्रमुख को यह अधिकार होगा कि निविदाकर्ता को दिये गये कार्यों में से कुछ कार्य अन्य निविदाकर्ता को दिया जा सकता है। इस संबंध में निविदाकर्ता की किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं होगी।

33. जिन निविदाकारों के पूर्व वर्षों में निविदा स्वीकृत कर अनुबंध निष्पादित किया गया था एवं उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया अथवा उनके द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया वे निविदाकार निविदा हेतु अपात्र होंगे।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम.....

पता :.....

.....

लायसेंस क......

भविष्य निधि कोड नं. .....

परिशिष्ठ–2

भाग – ''क''

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. निविदाकर्ता का नाम– श्री/सुश्री .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम– .....
3. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम .....
   एवं पता तथा मो.नं. .....
   .....
4. निविदाकर्ता का पंजीयन क. एवं .....
   दिनांक तथा जिला .....
5. व्यवसाय की पेन संख्या – .....

5.1 भविष्य निधि कर संख्या .....

6. श्रम लाइसेन्स की पंजीयन तिथि एवं वैधता तिथि .....
7. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर।
8. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का भविष्य निधि कोड़ नं. एवं विगत 2 वर्षो के जमा रिटर्न की छायाप्रति।
9. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का व्यवसाय संबंधित विगत दो वर्षो की आय कर विवरणी।
10. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स के साथ तथा सूचीबद्ध किये गये हमालों के भविष्य निधि खाता नम्बर सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा।
13. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण .....
    रूपये कुल.....
    बैंक ड्राफ्ट नंबर.....
    बैंक का नाम.....
14. इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण .....
    .....

15. पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण .....
.....

16. इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर .....

परिशिष्ठ–3

भाग – ''ख''

सरल कमांक.....

हमाली कार्य हेतु निविदा फार्म

वित्तीय लिफाफा हेतु

द्वारा :–
मेसर्स.....
.....

दूरभाष :–कार्यालय.....
निवास.....

निविदाकार का वर्तमान का फोटो स्वप्रमाणित

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 (दिनांक **01/11/2012 से 31/10/2013** की अवधि) में हमाली कार्य हेतु दिनांक.....को आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यों हेतु नीचे दिये अनुसार दरें दी जा रही है :–

क.	कार्य	विवरण	दर (प्रति बोरा/कट्टा)
1	धान की ढुलाई एवं थप्पी लगाई :–	50 कि.ग्रा. तक के बोरों का	.....
2	तौलाई प्रति बोरा	50 कि.ग्रा. तक के बोरों का	.....
3	**एच.डी.पी.ई. बेग्स में भूसा भराई, सिलाई एवं स्टेक बिछाई**	प्रति बोरा	.....
5	कस्टम मिलर को धान प्रदाय हेतु लोडिंग दर (इसका भुगतान मिलर द्वारा किया जायेगा केवल दरों का निर्धारण संघ द्वारा किया जा रहा है, ताकि संग्रहण केन्द्र पर कोई विवाद न हो।)	50 कि.ग्रा. तक के बोरों का	.....

मेरे द्वारा उपरोक्त दरें आपकी समस्त निविदा शर्तों को मान्य करते हुए दी गई है।

संलग्न :– निविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का पूरा नाम.....
व पता (आई.डी.प्रुफ सहित).....
लेबर कान्ट्रेक्ट लायसेन्स नं.....
सील (यदि हो)

परिशिष्ठ–4

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रू. 50/– के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला विपणन अधिकारी.....जिला..... .....(छ.ग.) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा ''पक्ष कमांक–1 तथा मेसर्स .....पक्ष कमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है :–

1. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा खरीफ वर्ष 2012–13 **(01/11/2012 से 31/10/2013)** में हमाली कार्य हेतु पक्ष क्र. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है।

2. यह कि, पक्ष क्र. 2 संविदा अविध / /20.... से / /20.... तक हमाली कार्य के लिए वचनबद्ध है, जिसे आपसी सहमति पर आगे की अवधी के लिये बढ़ाया जा सकता है।

3. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा हमाली कार्य करने हेतु हमालों का नाम, पिता का नाम तथा पता सहित पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. यह कि, पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 द्वारा जो भी कार्य सम्पन्न करने हेतु कहा जावेगा उसे समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क्र. 1 द्वारा अन्य स्त्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क्र. 2 से वसूल की जावेगी।

5. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा हमाली हेतु स्वीकृत दर से माह में किये गये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर पक्ष क्र. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर परीक्षण कर पक्ष क्र. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।

6. यह कि, पक्ष क्र. 2 को समय–समय पर कार्यानुसार हमाली कार्य हेतु हमाल की अतिरिक्त व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार समयावधि में करना अनिवार्य होगा तथा उसके समस्त दायित्व की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।

7. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम कानूनों जिसमें बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त अन्य शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।

8. यह कि, पक्ष क्र. 2 के पास भविष्यनिधि कोड तथा श्रम लाइसेंस, संविदा अधिनियम के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। समय–समय पर भविष्यनिधि कोड एवं श्रम लाइसेंस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी। समस्त श्रमिकों का भविष्य निधि नियमानुसार समयावधि भविष्य निधि आयुक्त को जमा करवाना तथा आवश्यक कानूनी अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक अभिलेख संधारित करना पक्ष क्र. 2 की जिम्मेदारी होगी। श्रमिकों से संबंधित समस्त अभिलेख पक्ष क्र. 1 के मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा। पक्ष क्र. 2 को आगामी माह की 15 तारीख तक भविष्यनिधि राशि जमा कराकर क्लीरेंस सर्टिफिकेट भविष्यनिधि कार्यालय में प्रस्तुत

करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात ही आगामी भुगतान पक्ष क्र. 1 द्वारा किया जावेगा। समयावधि में नियम का पालन नहीं करने पर पक्ष क्र. 1 द्वारा इकरारनामा भी निरस्त किया जा सकता है तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

9. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती पक्ष क्र. 1 द्वारा की जावेगी। पक्ष क्र. 2 को यदि सर्विस टैक्स की प्रोविजन लागू होते हैं तो सर्विस टैक्स की भुगतान की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी और उसे अपने द्वारा घोषित दरों में यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि इन दरों में सर्विस टैक्स भी शामिल है।

10. यह कि, निविदा के साथ दी गई अमानत राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) पर कोई ब्याज देय नहीं होगी व पक्ष क्र. 2 द्वारा सम्पन्न करने पर श्रम आयुक्त एवं भविष्य निधि आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस किया जावेगा।

11. यह कि, पक्ष क्र. 2 को रूपये 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) का अमानत राशि जो निविदा के साथ जमा की गई है, इसके अतिरिक्त अनुबंध के समय रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) की बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. किसी अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।

12. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृत कार्य के अलावा समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य पक्ष क्र. 2 को सम्पन्न करना होगा, जिसकी दरें जिला विपणन अधिकारी एवं पक्ष क्र. 2 के द्वारा आपसी सहमति से तय की जावेगी।

13. यह कि, अनुबंध अवधि में पक्ष क्र. 1 के पास संग्रहण केन्द्र में धान भंडारण होने पर ही हमाली का कार्य पक्ष क्र. 2 द्वारा किया जावेगा। यदि भंडारण केन्द्र में धान भंडारण नहीं किया जाता तो हमाली कार्य कराने की बाध्यता/मुआवजा पक्ष क्र. 1 द्वारा देय नहीं होगी।

14. यह कि, पक्ष क्र. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क्र. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क्र. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर होने वाली हानि के लिये पक्ष क्र. 2 जिम्मेदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य श्रोत से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्र. 2 से वसूल की जावेगी, जो उसके द्वारा जमा राशियों या देयकों से भी काटी जा सकेगी।

16. यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा की जाती है तो पक्ष क्र. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क्र. 2 का अग्रेतर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

17. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत की गई श्रमिकों की सूची अनुसार उपस्थिति शत्–प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई श्रमिक अनुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त श्रमिक दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।

18. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत श्रमिकों की सूची में कोई भी श्रमिक मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 पर की जावेगी।

19. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि सहकारिता और श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त किया गया हो। पक्ष क्र. 2 द्वारा जाने अथवा अनजाने में नियमों का उल्लंघन की जवाबदारी पूर्णतः पक्ष क्र. 2 की रहेगी और ऐसे किसी अपकृत्य के लिये पक्ष क्र. 1 जवाबदार नहीं रहेगा। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।

20. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिये विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।

21. यह कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।

22. निविदा की अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् भी अनुबंधित अवधि का यदि निविदाकार से श्रम विभाग अथवा भविष्य निधि विभाग का कोई भी लेनदारी/देयता शेष रहेगी, तो उक्त राशि संबंधित विभाग में जमा करने के लिए निविदाकार बाध्य रहेगा।

23. परिवहनकर्ताओं द्वारा समितियों से संग्रहण केन्द्रों में परिवहन कर डम्प किये गये धान के बोरो को डंप दिनांक से सात दिवस के अंदर स्टेकिंग करेगा अन्यथा हमाल ठेकेदार से प्रति बोरा प्रति दिन 0.10 पैसे के मान से दण्ड वसूल किया जावेगा ।

24. हमाल ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यरत हमालो का फोटो युक्त परिचय पत्र संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी को सूची सहित प्रस्तुत करेंगा तथा जारी किए गए हमालों के परिचय पत्र हमाल ही संग्रहण केन्द्र में प्रवेश करेगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी हमाल को संग्रहण केन्द्र प्रभारी/जिला विपणन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश नही दिया जावेगा।

25. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्र. 1)	(पक्ष क्र. 2)
सील.....	सील.....
साक्षी :–	**साक्षी** :–
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....
.....	.....